उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय की 18वीं वित्त समिति की बैठक दिनांक 21.08.2024 का कार्यवृत्त

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय की 18वीं वित्त समिति की बैठक दिनांक 21.08.024 को पूर्वाह्न 11.00 बजे विश्वविद्यालय सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नवत पदाधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

1. **प्रोफेसर ओमप्रकाश सिंह नेगी,** — **अध्यक्ष**
   कुलपति
   उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।

2. **प्रोफेसर अंजू अग्रवाल,** — **सदस्य**
   निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड
   (प्रतिनिधि सचिव, उच्च शिक्षा उत्तराखण्ड शासन)

3. **श्री बच्ची राम आर्य,** — **सदस्य**
   वित्त नियंत्रक, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड
   (प्रतिनिधि सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन)

4. **प्रोफेसर डी0पी0 त्रिपाठी,** — **सदस्य**
   प्राध्यापक, वास्तु शास्त्र
   श्री लाल बहादुर शास्त्री, राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय,
   नई दिल्ली (सदस्य कार्यपरिषद)।

5. **श्री सूर्य प्रताप सिंह,** — **सदस्य सचिव**
   वित्त नियंत्रक,
   उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय।

6. **प्रोफेसर संजय सिंह खत्री** — **आमंत्रित सदस्य**
   कुलसचिव,
   उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय।

7. **श्री दीपक कुमार** — **आमंत्रित सदस्य**
   सहायक कुलसचिव (वित्त)

वित्त नियंत्रक
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

21/8/24
कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

सर्वप्रथम सचिव, वित्त समिति द्वारा बैठक प्रारम्भ करने के लिए अध्यक्ष महोदय (कुलपति जी) की अनुमति उपरांत समिति में उपस्थित सभी सदस्यों का परिचय के साथ स्वागत किया गया। सचिव, वित्त समिति के द्वारा विश्वविद्यालय के शैक्षणिक क्रिया–कलापों एवं अन्य संगत गतिविधियों की संक्षिप्त जानकारी से सभी सदस्यों को अवगत कराया गया। तत्पश्चात 18वीं बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने के साथ ही वित्त समिति के सम्मुख प्रस्तुत कार्य सूचीनुसार 20 प्रस्तावों पर विस्तृत विचार–विमर्श के उपरान्त अधोलिखित निर्णय लिये गये।

मद संख्या 18.01–वित्त समिति की 17वीं बैठक, दिनांक 04.03.2024 के कार्यवृत्त की पुष्टि।

समिति को अवगत कराया गया कि वित्त समिति की 17वीं बैठक, दिनांक 04.03.2024 में लिए गए निर्णयों का कार्यवृत्त तद्समय उपस्थित सदस्यों के अवलोकनार्थ प्रेषित किया गया था, जिसमें कोई भी संशोधन प्राप्त नहीं हुआ। तदनुरूप समिति ने सर्वसम्मिति से 17वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि कर यथावत अनुमोदन दिया।

मद संख्या 18.02–वित्त समिति की 17वीं बैठक, दिनांक 04.03.2024 में पारित निर्णयों पर कृत कार्यवाही।

सचिव, वित्त समिति द्वारा वित्त समिति की 17वीं बैठक में पारित निर्णयों पर अद्यतन सम्बन्धित विभागों/अनुभागों की कृत कार्यवाही का विवरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा उक्त कार्यवृत्त के मद संख्या 17:02 में उल्लिखित बिन्दु संख्या 16:10 व 16:11, मद संख्या 17:06 एवं मद संख्या 17:18 (क) की कृत कार्यवाहियों पर विचार करते हुए पूर्व पारित संस्तुतियों में पुनर्विचार कर निम्नवत संशोधित निर्णयों के साथ समस्त मदों में कृत कार्यवाही की पुष्टि कर अनुमोदित किया।

मद संख्या 17:02 के बिन्दु संख्या 16:10–समिति द्वारा संस्तुति दी गयी कि बाह्य सेवाओं से लिये जाने वाले श्रमिकों का पारिश्रमिक निर्धारण किये जाने हेतु वित्त नियत्रंक को नियमानुसार कार्यवाही के लिए प्रस्ताव हेतु अधिकृत किया गया, जिसके आधार पर कुलपति जी के अनुमोदनोपरांत कार्य कराये जा सकेंगे।

मद संख्या 17:02 के बिन्दु संख्या 16:11–समिति द्वारा इस आधार पर कि पूर्व में शासकीय वाहन किसी पदधारक को आवंटित नहीं थे, अतः निर्धारित चार्ज को शून्य किया गया। साथ ही भविष्य हेतु पदधारकों को तत्काल वाहन आवंटन के आदेश निर्गत करने पर सहमति बनी तथा नियमानुसार कटौती करने पर संस्तुति की गयी।

मद संख्या 17:06–समिति को अवगत कराया गया कि आई0बी0एम0 ब्लेड सर्वर पर महत्वपूर्ण डेटा संरक्षित होने के अद्यतन निष्प्रयोज्य की नियमानुसार कार्यवाही नहीं हो पायी है। अतः समिति ने पुनर्विचार कर यह संस्तुति दी कि क्रय अनुभाग उक्त प्रकरण में आई0सी0टी0 अनुभाग से रिपोर्ट लेकर संस्तुत आख्या कुलपति जी के सम्मुख आवश्यक निर्णय के लिए प्रस्तुत करेगें।

वित्त नियंत्रक
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

मद संख्या 17:18 (क)– समिति द्वारा प्रकरण पर विस्तृत चर्चा की गयी एवं यह पाया कि प्रकरण में श्री राहुल बिष्ट को आर्थिक हानि हुई है। अतः समिति ने यह संस्तुति दी कि प्रकरण के लिए दोषी अधिकारियों/कार्मिकों की जवाबदेही तय कर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई के साथ वसूली की कार्यवाही की जाय एवं श्री राहुल बिष्ट को उनके नियमानुसार देयकों का परीक्षण कर यथासंभव सीमा तक तत्समय लागू शासनादेशों के तहत विश्वविद्यालय निधि से चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान सुनिश्चित किया जाय।

मद संख्या 18.03–वित्तीय वर्ष 2023–24 का वास्तविक आय–व्यय विवरण।

समिति के सम्मुख वित्तीय वर्ष 2023–2024 का पूर्ण वास्तविक आय–व्यय विवरण प्रस्तुत किया गया, जिस पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन की संस्तुति की गयी।

मद संख्या 18:04– गतिमान वित्तीय वर्ष 2024–25 में दिनांक 15.08.2024 तक का वास्तविक आय–व्यय विवरण।

समिति से सम्मुख गतिमान वित्तीय वर्ष 2024–2025 में दिनांक 15.08.2024 तक वास्तविक आय–व्यय विवरण प्रस्तुत किया गया। इसके अतिरिक्त अवगत कराया गया कि वित्तीय वर्ष 2024–25 के प्रारम्भिक माह में उत्तराखण्ड शासन की अनुदान संख्या 11 के अन्तर्गत मानक मद संख्या 05 (वेतन–भत्ते आदि), मद संख्या 08 (पारिश्रमिक) व मद संख्या 56 (गैर सामान्य वेतन) में प्राविधानित धनराशि क्रमशः रूपये 15.00 करोड़ मात्र, रूपये 01.00 करोड़ मात्र व रूपये 01.50 करोड़ मात्र विश्वविद्यालय को प्राप्त नहीं हुयी थी। फलस्वरूप शैक्षणिक गतिविधियों के प्रबंधन के लिए उक्त मदों में वित्त समिति की अनुमति की प्रत्याशा में विश्वविद्यालय निधि से धनराशि आहरित व वितरित की गयी है।

निर्णय– तद्क्रम में समिति द्वारा प्रकरण का परीक्षण/विश्लेषण कर दिनांक 15.08.2024 तक के वास्तविक आय–व्यय विवरण पर संतुष्टि व्यक्त करते हुए विश्वविद्यालय निधि से आहरित की जा रही धनराशि को उक्त निर्धारित मदों में उत्तराखण्ड शासन से अनुदान प्राप्त होने तक अथवा अद्यतन प्राप्त हुई राशि के सापेक्ष किये गये व्यय को सुसंगत समायोजन के साथ यथावत अनुमोदन का निर्णय लिया गया।

मद संख्या 18:05– गतिमान वित्तीय वर्ष 2024–2025 हेतु 17वीं वित्त समिति में निर्धारित आय–व्ययक पर पुनर्विचार।

समिति को अवगत कराया गया कि वित्त समिति की 17वीं बैठक, दिनांक 04.03.2024 में वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु अनुमानित आय–व्ययक प्रस्ताव पर संस्तुति दी गयी थी, जिस पर विश्वविद्यालय के शासी निकाय कार्यपरिषद द्वारा 40वीं बैठक, दिनांक 07.03.2024 में अनुमोदन दिया गया था। संज्ञान में लाया गया कि कतिपय समय निर्धारित मदों के अनुरूप यथासंभव अधिकतम सीमा तक धनराशि का उपयोग नहीं हो पा रहा है या फिर मांगों के अनुरूप कतिपय मदों में प्राविधानित धनराशि समयानुरूप कम पड़ रही है। परिणामस्वरूप जिन मदों में निर्धारित सीमा

वित्त नियंत्रक
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

तक धनराशि का उपयोग नहीं किया गया है, वहाँ पार्किंग ऑफ फण्ड की स्थिति देखने को मिल रही है और जिन मदों में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष व्यय की मांग बढ़ी है, उन मदों में बजट के अभाव होने के कारण समुचित कार्य नहीं हो पा रहे है, जिस कारण वित्तीय प्रबंधन में असंतुलन की स्थिति पैदा हो रही है।

निर्णय– उक्त के आलोक में समिति ने संस्थान के वित्तीय प्रबंधन में संतुलन व कुशलता लाने के लिए व विश्वविद्यालय उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु 17वीं वित्त समिति में प्राविधानित आय–व्यय एवं उनके मदों (मद का नाम) का निम्नवत तौर पर एकीकरण/नवीनीकरण/पृथक्कीकरण का निर्णय लिया व स्वीकृति हेतु कुलपति जी को अधिकृत किया गया। बैठक में यह भी स्वीकृति दी गयी कि विश्वविद्यालय उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए यदि निर्धारित मदों की प्राविधानित धनराशि में समयानुरूप कोई परिवर्तन/संशोधन अपरिहार्य हो, तो इस हेतु प्राविधानित बजट में पुनर्विनियोग करने के लिए वित्त नियंत्रक की संस्तुति पर कुलपति द्वारा समय–समय पर आवश्यकतानुसार अनुमोदन दिया जा सकेगा।

इसके अतिरिक्त परीक्षा से होने वाली आय हेतु एक पृथक मद बनाया जाय, जिससे परीक्षा कार्यो की वास्तविक आय का आंकलन हो सके। उक्त कार्यवाही हेतु परीक्षा नियंत्रक, प्रवेश प्रभारी एवं आई0सी0टी0 अनुभाग सुसज्जित रिपोर्ट वित्त नियंत्रक को प्रस्तुत करते हुये उचित आख्या से आगामी वित्त समिति को अवगत कराया जाय।

गतिमान वित्तीय वर्ष 2024–2025 का संशोधित अनुमानित आय विवरण–

क्रम संख्या	मद संख्या	धनराशि
1	05 वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान	162,056,825.00
2	08 पारिश्रमिक	16,266,439.00
3	55 पूंजीगत परिसम्पत्तियों का सृजन	30,275,000.00
4	56 सहायता अनुदान (सामान्य गैर वेतन)	15000000.00
कुल योग (1+2+3+4)		**223598264.00**
5	विश्वविद्यालय की स्वयं के स्रोतो से आय	430653000.00
कुल योग (1+2+3+4+5)		**654251264.00**

गतिमान वित्तीय वर्ष 2024–2025 का संशोधित अनुमानित व्यय विवरण–

BUDGET 2024-25 (01-04-2024 TO 31-03-2025)		
Sr. no.	**Head**	**Proposed 2024-2025**
A	**Salary (05)**	**162056825.00**
B	**Capital Assets (55)**	**30275000.00**
C	**Remuneration (08)**	**16266439.00**
D	**Non-Salary (56) Exp.**	
1	Wages	150000.00

वित्त नियंत्रक
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

2	Travelling Expenses	1350000.00
3	Remuneration for experts	4000000.00
4	Reimbursement of Medical Expenses	1000.00
5	Training	100000.00
6	Allowance Related Exp. (Mobile/Laptop/Suitcase etc.)	500000.00
7	Stationery and Printing	400000.00
8	Office Furniture and Equipment	2000000.00
9	Office Expenses	3000000.00
10	Rent and Taxes	3000000.00
11	Advertisment and Publishment	250000.00
12	Electricity, Water,Telephone, Internet, utility bill	1000000.00
13	Computer hardware, Software and Maintenance (ICT)	7000000.00
14	Professional services	500000.00
15	Staff Car Purchase	2500000.00
16	Vehicle fuel, Maintenance and Insurance	2400000.00
17	Hospitality	4000000.00
18	Machine and Equipments	3000000.00
19	Convocation, NAAC and Other Departmental Exp.	5000000.00
20	Construction and Maintenance	50000000.00
21	Land Purchase	1000.00
22	Refund	1000.00
23	Astt. Prof (AC)/Adm. & Tech. Con./Fixed Remuneration/Ext. Ser Prov	51000000.00
24	Fee Share to Study Centre	70000000.00
25	Printing/Books Purch./Publishing (MPDD)	100000000.00
26	Student Support System	5000000.00
27	Research/Innovation/Vocational Edu.Research	1500000.00
28	Library	3500000.00
29	Exam Expenses	98000000.00
30	Creche	200000.00
31	EMPC and RADIO	400000.00
32	Women Studies	200000.00
33	**School/Department All Expenses (List Attched)**	25700000.00
	Total (D)	**445653000.00**
	Grant Total (A+B+C+D)=	**654251264.00**

S.No. 33- School/Department All Expenses

BUDGET PROPOSAL ACADEMIC DEPARTMENT WISE 2024-25

Sr. No.	Name of Schools		Departments	Proposed
1	School of Humainites	1	Department of English and Foreign language	100000.00
		2	Department of Hindi and Modern Indian languages	100000.00
		3	Department of Vedic and Jyotish	250000.00

कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

		4	Department of Indian Karmkand	200000.00
		5	Department of Music, Dance and Art Performance	400000.00
		6	Department of Philosophy	100000.00
		7	Department of Sanskrit and Prakrit languages	150000.00
		8	Department of Urdu	150000.00
			Total	**1450000.00**
2	**School of Social Science**	1	Department of Economics	200000.00
		2	Department of History	200000.00
		3	Department of Political Science	300000.00
		4	Department of Psychology	400000.00
		5	Department of Public Administration	300000.00
		6	Department of Social Work	400000.00
		7	Department of Sociology	400000.00
		8	Department of Himalayan Studies	50000.00
		9	Department of Gandhi Studies and Peace	50000.00
			Total	**2300000.00**
3	**School of Management studies and Commerce**	1	Department of Management Studies	500000.00
		2	Department of Commerce	300000.00
		3	Department of Human Values and ethics	100000.00
			Total	**900000.00**
4	**School of Science**	1	Department of Botany	3000000.00
		2	Department of Chemistry	3000000.00
		3	Department of Maths	500000.00
		4	Department of Physics	3000000.00
		5	Department of Zoology	3000000.00
			Total	**12500000.00**
5	**School of Computer Science**	1	Department of Computer Science	300000.00
		2	Department of Information Technology	300000.00
			Total	**600000.00**
6	**School of Vocational Studies**	1	Department of Vocational Studies	300000.00
			Total	**300000.00**
7	**School of Tourism, Hospitality and Hotel Managemet**	1	Department of Tourism and Hospitality	500000.00
		2	Department of Hotel Management	100000.00

वित्त नियंत्रक
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

		Total		600000.00
8	School of Agriculture & Development Studies	1	Department of Agriculture	100000.00
		2	Department of Horticulture	100000.00
		3	Department of Development Studies	100000.00
		Total		300000.00
9	School of Health Science	1	Department of Ayurveda	50000.00
		2	Department of Medical Science and Health Care	50000.00
		3	Department of Yog and Natrural Health	800000.00
		4	Department of Home Science	1000000.00
		Total		1900000.00
10	School of Education	1	Department of Education	300000.00
		2	Department of Teacher Education	550000.00
		3	Department of Special Education	600000.00
		Total		1450000.00
11	School of Library and Information Sciences	1	Department of Library and Information Science	200000.00
		Total		200000.00
12	School of Journalism and Media Studies	1	Department of Journalism	400000.00
		2	Department of Media Studies	200000.00
		Total		600000.00
13	School of Law	1	Department of Civil Law	50000.00
		2	Department of criminal Law	50000.00
		3	Department of Human rights and Legal Affairs	100000.00
		Total		200000.00
14	School of Earth and Environmental Science	1	Department of Geology	600000.00
		2	Department of Forestry and Environment Science	500000.00
		3	Department of Geography and Natural Resource Management	300000.00
		4	Department of Remote Sensing and GIS	1000000.00
		Total		2400000.00
		GRANT TOTAL		25,700,000.00

मद संख्या 18:06— इग्नू, नई दिल्ली द्वारा विनियमित स्वयंप्रभा/स्वयं चैनल प्रोजेक्ट्स के तहत प्राप्त अनुदान धनराशि का वितरण।

कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

सचिव, वित्त समिति के द्वारा संज्ञान में लाया गया कि इग्नू, नई दिल्ली द्वारा विनियमित प्रोजेक्ट स्वयंप्रभा/स्वयं चैनल के अन्तर्गत गुणवत्तायुक्त शिक्षा हेतु कन्टेंट बनाये जाने के लिए वीडियो तैयार करने निमित्त विश्वविद्यालय को कतिपय प्रोजेक्ट्स में अनुदान दिया जा रहा है। स्वयं प्रभा/स्वयं चैनल 20 के तहत आंतरिक व बाह्य विशेषज्ञों द्वारा 100 व्याख्यान/वीडियों रिकार्ड व संपादित कर अपलोड किये जाने हैं, तत्पश्चात इन वीडियो को स्वयंप्रभा चैनल 20 के मंच पर चलाये जाने है। मानदंडों के अनुसार, वीडियो 28 से 30 मिनट तक के तैयार किए जायेगें एवं विशेषज्ञों को SWAYAM के नियमों के अनुरूप भुगतान किया जायेगा। प्रोजेक्ट के तहत वर्ष 2021–22 में स्वयंप्रभा हेतु प्राविधानित बजट के अनुसार एक वीडियो कन्टेंट तैयार करने के लिए रूपये 50000 मात्र (पचास हजार) प्रति घण्टा निर्धारित है, जिसमें से रूपये 12500 मात्र (रूपये 50000 का 25 प्रतिशत) इग्नू, नई दिल्ली का शेयर है एवं शेष रूपये 37500 मात्र (रूपये 50000 का 75 प्रतिशत) राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों के लिए निर्धारित शेयर है, जिसका वितरण (शेयरिंग) की नीति तय की जानी है।

निर्णय– उपरिवर्णित प्रस्ताव के अनुरूप समिति द्वारा गहन चर्चा के उपरांत प्रोजेक्ट में निम्नवत अधिकारियों/कार्मिकों की भागीदारी होने के दृष्टिकोण से प्रोजेक्ट के शेष धनराशि रूपये 37500 मात्र (रूपये 50000 का 75 प्रतिशत) का निम्नानुसार वितरण (शेयरिंग) किये जाने की संस्तुति की है–

विश्वविद्यालय को प्राप्त होने वाली धनराशि का वितरण–

Financial Grant Received on hourly basis (prorate)		Rs 37,500
Sr.No.	Particular	Amount (in Rs) Calculated for 1 Hour Lecture
1	On Camera Presentation by SME @ Rs 5000 per module (30 minutes)	10000
2	Academic Review with two SME (for all four quadrant material) @ Rs 1000 per module (30 minutes)	2000
3	Technical Review by one Technical Expert @ Rs 500 per module (30 minutes)	1000
View Production		
4	Production Cost (including Cost of Studio, set, crew and instructional designer) @ Rs 5.25 Lakh for 40 hours	13125
5	Multimedia or outdoor shooting inputs @Rs 1.75 lakh for 40 hours	4375
6	Post Productin (@ Rs 5000 per hour)	5000
	Remaining Amount(Rupees)	2000 (Two Thousand)

Distribution of funds under Sr.No 6 (Secretarial and Ministrial Expenditure) is as follows;

Particular	Name of Officer/Employee	Remaining amount 2000	Percentage
01	02	03	04
Secretarial and Ministrial Expenditure	Registrar and FC	400 Each	40 (20 each)
	DR	300	15
	AR (Finance)	250	12.50
	Clerk-Director Academic	130	6.5
	Clerk- CIQA	130	6.5
	Clerk- Registrar	130	6.5
	Clerk- Finance	130	6.5

वित्त नियंत्रक
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति 8/24
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

	Clerk- VC Office	130	6.5
	Total	**2000**	**100**

बैठक में यह भी निर्णय हुआ है कि उपरोक्त कॉलम–4 में दिए गए अनुपात के आधार पर ही भविष्य में इस प्रकार के सुसंगत प्रोजेक्ट में प्राप्त होने वाली धनराशि का वितरण निर्धारित किया जाय। सम्बन्धित पदधारक के कार्यरत न होने की दशा में निर्धारित धनराशि अन्य समस्त कार्मिकों में उक्तानुसार प्रतिशत/अनुपात के आधार पर वितरण किये जाने की संस्तुति भी हुई।

मद संख्या 18:07– वित्त विभाग (अनुभाग–7), उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 18/XXVII(7)/18-50(14)/2017, दिनांक 23.01.2019 के द्वारा लागू यात्रा स्थानान्तरण नियमों व दरों का विश्वविद्यालय में अंगीकरण।

विश्वविद्यालय का मुख्यालय हल्द्वानी शहर, जिला नैनीताल में होने के साथ–साथ संस्थान के आठ क्षेत्रीय कार्यालय यथा पिथौरागढ़, बागेश्वर, रानीखेत, हल्द्वानी, पौड़ी, उत्तरकाशी, रूड़की एवं देहरादून में अवस्थित है। इसके अतिरिक्त परिसर कार्यालय भी देहरादून में अवस्थित है। विश्वविद्यालय के ढांचागत प्रबंधन के लिए आवश्यकतानुसार समय–समय पर नियमित/अन्य अस्थायी कार्मिकों का स्थानान्तरण विश्वविद्यालय मुख्यालय से परिसर कार्यालय, देहरादून/क्षेत्रीय कार्यालयों में या फिर एक कार्यालय से अन्य कार्यालय में किये जाते रहते हैं अथवा संभावना बनी रहती है। स्थानान्तरण किये जाने की दशा में यात्रा स्थानान्तरण भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में अद्यतन विश्वविद्यालय को शासन से दिशा–निर्देश प्राप्त नहीं हुये हैं जबकि अन्य यात्रा–भत्तों के लिए उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय–समय पर जारी शासनादेशों के अनुरूप कार्यवाही की जाती है। अतः उक्त प्रस्ताव के माध्यम से स्थानान्तरण होने की दशा में वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग–3 (यात्रा भत्ता नियमावली) के उपबंधों के अनुरूप वित्त विभाग (अनुभाग–7), उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या 18/XXVII(7)/18-50(14)/2017, दिनांक 23.01.2019 द्वारा तथा समय–समय पर सुसज्जित आदेशों के तहत स्थानान्तरण यात्रा भत्ता नियम अंगीकार कर लागू किया जाना है।

निर्णय– उक्त के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार सहमति व्यक्त करते हुए उत्तराखण्ड शासन के प्रभावी नियमों/प्राविधानों को अंगीकार करने के लिए कार्यपरिषद की सहमति से दिशा–निर्देश हेतु शासन को प्रस्ताव प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

मद संख्या 18:08– विश्वविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों एवं परीक्षा शुल्क के निर्धारण हेतु गठित शुल्क निर्धारण समिति की बैठक, दिनांक 26.02.2024 के कार्यवृत्त पर अनुमोदन।

बैठक में चर्चा होने के उपरांत वित्त समिति का यह निर्णय हुआ कि निदेशक, अकादमिक की अध्यक्षता में गठित शुल्क निर्धारण समिति की बैठक, दिनांक 26.02.2024 में विश्वविद्यालय के विभिन्न संचालित

वित्त नियंत्रक
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

पाठ्यक्रमों एवं परीक्षा संबंधी शुल्कों के पुनर्निर्धारण को निम्नलिखित रूप में स्वीकार करते हुए यथावत लागू करने की संस्तुति की–

क्र0 सं0	शुल्क निर्धारण समिति के प्रस्ताव बिन्दु	शुल्क निर्धारण समिति की संस्तुति
01	परीक्षा नियंत्रक अवगत कराया गया है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने के उपरान्त परीक्षा शुल्क में वृद्धि की जानी है इसके अतिरिक्त परीक्षा शुल्क में वृद्धि में प्रत्येक 03 वर्ष के उपरान्त की जा सकती है तथा इससे पूर्व वर्ष 2010 में परीक्षा शुल्क में वृद्धि की गयी था।	नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने के दृष्टिगत परीक्षा शुल्क में रू0 50 की वृद्धि करते हुए स्नातक स्तर की परीक्षाओं हेतु रू0 250 प्रति प्रश्नपत्र तथा स्नातकोत्तर स्तर की परीक्षाओं हेतु रू0 300 प्रति प्रश्नपत्र किये जाने का निर्णय लिया गया।
02	प्रवेश प्रभारी द्वारा अवगत कराया गया है कि इस वर्ष से बोनाफाईड एवं मीडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन्स सार्टिफिकेट छात्रों को ऑनलाईन उपलब्ध कराये जा रहे हैं जिस हेतु रू0 200 का शुल्क प्रति आवेदन निर्धारित किया जाना है।	सर्वसम्मति से बोनाफाईड एवं मीडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन्स प्राप्त करने हेतु रू0 200 का शुल्क प्रति आवेदन प्राप्त किया जाना स्वीकार किया गया।
03	प्रवेश प्रभारी द्वारा SEC के सभी पाठ्यक्रमों हेतु लिये जाने वाले शुल्क में रू0 500 (प्रयोगात्मक परीक्षा) की वृद्धि करते हुए इसे 700 किये जाने का प्रस्ताव किया गया।	समिति के समस्त सदस्यों द्वारा इसे स्वीकार किया गया।
04	प्रवेश प्रभारी द्वारा अवगत कराया गया कि जिन पाठ्यक्रमों में Minor पाठ्यक्रम में प्रयोगात्मक परीक्षा शुल्क नहीं जा रहा है उनमें भी प्रयोगात्मक शुल्क लिया जाना प्रस्तावित है।	समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि जिन विषयों में 15 पाठ्यक्रम हैं उन सभी में प्रयोगात्मक परीक्षा शुल्क Major पाठ्यक्रम शुल्क के समान लिया जाएगा।
05	अध्यक्ष महोदय द्वारा विश्वविद्यालय के कार्मिकों एवं उनके आश्रितों द्वारा प्रवेश लिए जाने पर दी जाने वाली छूट को 25 प्रतिशत अधिकतम दिये जाने के निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त अन्य नियम यथावत रहेंगे। छूट लेने वाले ऐसे कार्मिकों एवे उनके आश्रितों को 15 प्रतिशत की E-SLM की छूट नहीं दी जाएगी।	
06	अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव किया गया कि एम0ए0 (पर्यावरण अध्ययन) के पाठ्यक्रम शुल्क को IGNOU के पाठ्यक्रम शुल्क के समान कर दिया जाए।	समिति के समस्त सदस्यों द्वार इसे स्वीकार किया गया।
07	एम0बी0ए0 एवं एम0सी0ए0 हेतु प्रवेश परीक्षा शुल्क रू0 1000 एवं बी0एड0 (समस्त कार्यक्रम) एवं पी0एच0डी0 हेतु प्रवेश परीक्षा शुल्क रू0 2000 निर्धारित किया गया।	

मद संख्या 18:09– मा0 कुलपति जी हेतु नवीन शासकीय वाहन क्रय करने पर निर्णय।

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

समिति के संज्ञान में लाया गया कि मा0 कुलपति जी हेतु माह जून, 2015 में इनोवा शासकीय वाहन क्रय किया गया था, जो कि माह अगस्त, 2024 तक 326599 किलोमीटर से अधिक की यात्रा पूर्ण कर चुका है। उक्त वाहन लगभग 09 वर्ष पुराना है एवं समय–समय पर उक्त वाहन में बड़ी मात्रा में मरम्मत कराये जाने की आवश्यकता होती है। कुलपति जी को अपने कार्यदायित्वों के सम्बन्ध में मुख्यालय क्षेत्र (हल्द्वानी) के अतिरिक्त प्रदेश के शैक्षणिक संस्थाओं एवं सुदूर क्षेत्रों में अवस्थित विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्रों, अन्य राज्यों एवं केन्द्र सरकार के शैक्षणिक संस्थाओं एवं उनकी विभिन्न बैठकों/गोष्ठियों/सेमीनार में प्रतिभाग करने के लिए भिन्न–भिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में शासकीय वाहन से यात्राएं करनी पड़ती हैं। अधिक यात्रा पूर्ण करने के कारण परिवहन अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या 139071, दिनांक 19.07.2023 के प्रस्तर–3(1) श्रेणी 2 (पंजीयन तिथि से 7 वर्ष की आयु एवं 300000 किलोमीटर की दूरी तक संचालन) के अन्तर्गत मा0 कुलपति जी को अधिकृत इनोवा वाहन को निष्प्रयोज्यता घोषित होने सम्बन्धी मानकों को पूर्ण करता है।

निर्णय– प्रस्ताव पर चर्चा करने के उपरांत समिति द्वारा उक्त पुराने वाहन (इनोवा कार) को निष्प्रयोज्य करने की नियमानुसार कार्यवाही के साथ कुलपति जी हेतु मानकानुसार शासन द्वारा निर्धारित रूपये 25.00 लाख मात्र (पच्चीस लाख) की सीमा तक नवीन शासकीय वाहन क्रय करने का निर्णय लिया गया। यह भी स्वीकृति दी गयी कि भविष्य में विश्वविद्यालय के मुख्य प्रशासकीय अधिकारियों यथा वित्त नियत्रंक एवं कुलसचिव को अपर विभागाध्यक्ष के समकक्ष स्तर की अनुमन्य सीमा में शासकीय वाहन अनुमन्य किया जाय।

मद संख्या 18:10– योजना बोर्ड की षष्ट्म बैठक, दिनांक 06.09.2023 एवं कार्यपरिषद की 38वीं बैठक, दिनांक 04.11.2023 के अनुमोदन के क्रम में योजना बोर्ड के पारित मद संख्या 06:09 पर विचार।

विश्वविद्यालय की योजना बोर्ड की षष्टम बैठक, दिनांक 06.09.2024 एवं कार्यपरिषद की 38वीं बैठक, दिनाक 04.11.2023 द्वारा लिये गये निर्णय 1–विभागों के साथ विद्याशाखा का बजट पृथक से निर्धारित किया जाय एवं 2–विश्वविद्यालय के परिसर कार्यालय, देहरादून व आदर्श अध्ययन केन्द्र, देहरादून हेतु पृथक से बजट निर्धारित किया जाय, पर सचिव, वित्त समिति ने अवगत कराया चूँकि आज की बैठक के मद संख्या 18:05 में अनुमानित आय–व्ययक (बजट) का पुनर्विचार कर पुनर्गठन कर लिया गया है, अत उक्त बजट की व्यवस्था गठित आय–व्ययक से ही की जा सकती है।

निर्णय– तदक्रम में समिति द्वारा आपसी विचार–विमर्श करने के उपरांत यह संस्तुति दी कि मद संख्या 18:05 में निर्धारित अनुमानित आय–व्ययक (बजट) में से ही उक्त प्रयोजन हेतु बजट की व्यवस्था की जाय।

मद संख्या 18:11– योजना बोर्ड की सप्त्म बैठक, दिनांक 27.07.2024 में पारित मदों पर विचार।

वित्त नियन्त्रक
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

विश्वविद्यालय की योजना बोर्ड की सप्तम बैठक, दिनांक 27.07.2024 कें वित्तीय उपाशय निहित प्रस्तावों पर विस्तृत विचार–विमर्श किया गया। चर्चोपरांत अंत में समिति द्वारा योजना बोर्ड की संस्तुतियों पर सहमति व्यक्त करते हुए सर्वसम्मति से यथावत संस्तुति कार्यपरिषद के सम्मुख अनुमोदन हेतु दी गयी।

मद संख्या 18:12– विश्वविद्यालय के संचालित पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु दिव्यांग पुरूष शिक्षार्थियों को शुल्क में छूट प्रदान किये जाने के संबंध में विचार।

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद की 29वीं बैठक, दिनांक 26.06.2024 को आहूत की गयी, जिसमें पारित प्रस्ताव संख्या 29:02 के अन्तर्गत विद्यापरिषद की 28वीं बैठक, दिनांक 02.03.2024 में प्रस्ताव संख्या 28:05 के अनुरूप विश्वविद्यालय के संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए इच्छुक दिव्यांग पुरूष शिक्षार्थियों को दिव्यांग महिला शिक्षार्थियों की तरह ही 50 प्रतिशत पाठ्यक्रम शुल्क में छूट प्रदान दिये जाने के प्रस्ताव पर समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्या 18:13– विश्वविद्यालय में संचालित ऐसे कार्यक्रम, जिनका पूर्ण कार्यक्रम शुल्क प्रत्येक वर्ष के प्रथम सेमेस्टर में रूपये 10000 मात्र (दस हजार) अथवा उससे अधिक हो, उन सभी कार्यक्रमों के कार्यक्रम शुल्क को शैक्षणिक सत्र 2024–2025 से सेमेस्टर वार समान रूप से विभाजित किये जाने के सम्बन्ध में विचार।

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद की 29वीं बैठक, 26.06.2024 में उल्लिखित मद संख्या 29:10 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय में संचालित ऐसे कार्यक्रम, जिनका पूर्ण कार्यक्रम शुल्क प्रत्येक वर्ष के प्रथम सेमेस्टर में रूपये 10000 मात्र (दस हजार) अथवा उससे अधिक है, उन सभी कार्यक्रमों (शिक्षार्थियों को आर्थिक समस्या का सामना न करना पड़े) में कार्यक्रम शुल्क को शैक्षणिक सत्र 2024–2025 से सेमेस्टर वार समान रूप से विभाजित किये जाने की संस्तुतियों पर वित्त समिति द्वारा विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार अनुमोदन प्रदान किया गया–

GRADUATION PROGRAMME (रूपये 10000/– से अधिक कार्यक्रम शुल्क)	**MASTER PROGRAMME** (रूपये 10000/– से अधिक कार्यक्रम शुल्क)
B.Sc.	MAHS
BBA	MSCES (Environmental Studies)
BCA	MAGE
B.Ed.	M.Sc. Botany
B.Ed.Spl. Edu. (Hearing Imparinment)	M.Sc. Chemistry
B.Ed.Spl. Edu. (Visual Impairment)	M.Sc. MATHEMATICS
B.Ed.Spl. Edu. (Intellectual Development Disability)	M.Sc. PHYSICS
B.Ed.Spl. Edu. (Learning Disability)	M.Sc. ZOOLOGY

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

————	M.Sc. IT
————	MCA
————	MSC-CS(CYBER SECURITY)
————	MSW
————	MBA

मद संख्या 18:14–विश्वविद्यालय के निर्धारित अध्ययन केन्द्रों को दिये जा रहे पाठ्यक्रम शुल्क का पांच प्रतिशत ओवरहेड चार्जेज के व्यय हेतु नीति–निर्धारण।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त एवं दूरस्थ ज्ञान अर्जन कार्यक्रम और ऑनलाईन कार्यक्रम) विनियम, 2020 के प्राविधानों के अन्तर्गत उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षार्थी सहायता केन्द्र एवं क्षेत्रीय केन्द्र मानक मापदण्ड नियमावली 2022 विश्वविद्यालय द्वारा प्रख्यापित की गयी है। अध्ययन केन्द्रों के सुचारू संचालन हेतु प्रख्यापित नियमावली के नियम संख्या 15 व 16 के अनुरूप विभिन्न मदों में विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षार्थियों से प्राप्त पाठ्यक्रम शुल्क का निर्धारित अंश अनुदान के रूप में दिया जाता हैं। बिन्दु संख्या 16 के अन्तर्गत तालिका D के तहत संबधित संस्थान में 80 से अधिक शिक्षार्थी पंजीकृत होने पर कुल पाठ्यक्रम शुल्क का 05 प्रतिशत धनराशि उपरिव्यय (ओवरहेड चार्जेज) के तौर पर दी जायेगी, किन्तु नियमावली में कहीं भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि उक्त धनराशि का उपयोग किन–किन सामग्रियों/सेवाओं में किया जायेगा, इसके अतिरिक्त तालिका D व E में क्रमशः प्रयोगशाला व्यय व आकस्मिक व्यय के संबंधम में भी स्पष्टता परिलक्षित नहीं हो रही है।

निर्णय– तदक्रम में समिति द्वारा सम्यक तौर पर विचार करने के उपरांत यह संस्तुति दी कि उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षार्थी सहायता केन्द्र एवं क्षेत्रीय केन्द्र मानक मापदण्ड नियमावली 2022 के तहत तालिका D व E में दी जा रही धनराशि के मदों में व्यय के लिए वित्त नियत्रंक द्वारा वित्तीय नियमों के अनुरूप नीति/कार्यवाही कर रिपोर्ट कुलपति जी के समक्ष प्रस्तुत करेगें।

मद संख्या 18:15–विश्वविद्यालय में नियुक्त लोकपाल के मानदेय निर्धारण के सम्बन्ध में निर्णय।

समिति द्वारा सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (छात्रों की शिकायतों का निवारण) विनियम, 2023 अधिसूचना दिनांक 11.04.2023 के अन्तर्गत बिन्दु संख्या 06 (6) के अनुरूप लोकपाल का मानदेय रूपये पांच हजार मात्र प्रतिदिन की दर से निर्धारित किया गया।

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

मद संख्या 18:16– कोरोनाकाल वर्ष (2020–21 एवं 2021–22) के दौरान अध्ययन सामग्री मुद्रकों के रोके गये 10 प्रतिशत धनराशि के भुगतान पर पुनर्विचार एवं अनुमोदन।

समिति के सम्मुख अवगत कराया गया कि दिनांक 29.07.2024 को कुलपति जी की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय में अध्ययन सामग्री (एस0एल0एम0) के मुद्रण हेतु वर्ष 2020–21 व 2021–22 में सूचीबद्ध मुद्रकों (1–शिवालिक कम्प्यूटर्स हरिद्वार, 2–उतरायण प्रकाशन हल्द्वानी, 3–डायमण्ड प्रिंटर जयपुर) द्वारा कोरोनाकाल (कोविड–19) के दौरान कराये गये मुद्रण कार्य के सापेक्ष रोके गये 10 प्रतिशन धनराशि का भुगतान करने हेतु मुद्रको के अनुरोध पत्र दिनांक 27.07.2024 के क्रम में विश्वविद्यालय के प्रशासकीय अधिकारियों की बैठक आहूत की गयी थी, जिसमें यह माना गया है कि कार्यपरिषद की 31वीं बैठक, दिनांक 15.09.2021 में पारित मद संख्या 31:11 के अन्तर्गत उपरिवर्णित काल में कोरोना महामारी से ग्रसित होने के कारण रोके गये 10 प्रतिशत (कुल धनराशि रूपये 27637700 मात्र का 10 प्रतिशत) धनराशि के भुगतान करने के सम्बन्ध में तथ्यों (यह कि कोविड–19 के कारण अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराने में देरी हुई है या कोई अन्य कारण से) की जाँच हेतु गठित कुलसचिव की अध्यक्षता वाली समिति ने केवल मात्र पुस्तकों का विवरण व उनकी विलंब अवधि का विवरण प्रस्तुत किया गया, लेकिन कहीं भी भुगतान करने या न करने की संस्तुति नहीं हुयी है। तथ्यों की अपुष्टता व अपूर्ण आख्या कारण तद्समय से रोके गये 10 प्रतिशत (कुल धनराशि रूपये 27637700 मात्र का 10 प्रतिशत) धनराशि के भुगतान के सम्बन्ध में स्थायी समाधान नहीं हो सका है। चूँकि तद्समय कुलसचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के सदस्य अन्यत्र विभागों में कार्यरत होने से वर्तमान में सम्बन्धित सदस्यों के विश्वविद्यालय में उपलब्धता न होने के कारण विश्वविद्यालय के प्रशासकीय अधिकारियों की बैठक में सम्यक् विचारोपरांत भुगतान की सैद्धांतिक सहमति हुई।

निर्णय– उक्त के आलोक में समिति द्वारा गठित जांच समिति की रिपोर्ट तथा कुलपति जी की अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट के आधार पर कोविड–19 के दौरान हुई वास्तवित समस्याओं के दृष्टिगत तत्समय रोके गये 10 प्रतिशत पर भुगतान की स्वीकृति दी गयी।

मद संख्या 18:17– कार्यपरिषद की 27वीं बैठक, दिनांक 12.02.2020 में पारित मद संख्या 27:14:03 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों के प्रवेश प्रक्रिया में लिये जा रहे प्रवेश शुल्क में छूट दिये जाने पर पुनर्विचार/संशोधन।

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की 27वीं बैठक, दिनांक 12.02.2020 में पारित मद संख्या 27.14.03, जिसमें विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों के प्रवेश प्रक्रिया में लिये जा रहे प्रवेश शुल्क में छूट दिये जाने सम्बन्धी

कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

21/8/24

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

व्यवस्था में नैक प्रत्यायन के दौरान विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षित विशेष अध्ययन केन्द्रों को विशिष्ट आचरण (Best Practices) के रूप में प्रदर्शित करने हेतु प्रवेश प्रभारी की संस्तुतियों पर विचार–विमर्श के उपरांत निम्नलिखित कॉलम संख्या–02 में निर्णित मद के सापेक्ष कॉलम संख्या–03 के अनुरूप संशोधित कर निम्नवत अनुमोदन किया–

क्र0 सं0	पारित मद संख्या 27:14:03 का विवरण	संशोधित निर्णय
01	02	03
1	शहीद सैनिकों की विधवाओं को पाठ्यक्रम शुल्क में पूर्ण रूप से छूट केवल इन्दिरा गांधी प्रियदर्शनी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, हल्द्वानी में प्रवेश लेने पर दी जायेगी तथा अन्य अध्ययन केन्द्रों में पाठ्यक्रम शुल्क में 15 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी।	शहीद सैनिकों की विधवाओं को पाठ्यक्रम शुल्क में पूर्ण रूप से छूट तथा घरेलू व निर्धन महिलाओं को 25 प्रतिशत छूट केवल eSLM के साथ, चिन्हित समस्त महिला अध्ययन केन्द्र एवं विश्वविद्यालय के आदर्श अध्ययन केन्द्रों में प्रवेश लने पर दी जायेगी।
2	ऐसी महिलाएं, जो 50 प्रतिशत दिव्यांग हैं, को पाठ्यक्रम शुल्क, में पूर्ण रूप से छूट प्रदान की जाएगी।	ऐसी महिलाएं जो 50 प्रतिशत दिव्यांग हैं, को पाठ्यक्रम शुल्क में पूर्ण रूप से छूट (केवल eSLM के साथ) प्रदान की जाएगी।
3	केवल राजकीय महाविद्यालय, मुनस्यारी एवं सरदार महिपाल सिंह राजेन्द्र डिग्री कालेज, सहिया में प्रवेश लेने वाली अनुसूचित जनजाति श्रेणी की महिलाओं को पाठ्यक्रम शुल्क में 15 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।	केवल राजकीय महाविद्यालय, मुनस्यारी एवं सरदार महिपाल राजेन्द्र डिग्री कालेज, सहिया में प्रवेश लेने वाली अनुसूचित जनजाति श्रेणी की महिलाओं को पाठ्यक्रम शुल्क में 15 प्रतिशत की छूट (या 25 प्रतिशत eSLM के साथ) प्रदान की जाएगी।

मद संख्या 18:18– विश्वविद्यालय मुख्यालय के परिसर में प्रशासकीय अधिकारियों–कुलसचिव एवं वित्त नियंत्रक हेतु टाईप–5 आवासीय भवनों का निर्माण एवं पूर्व से निर्मित वाहन पार्किंग को विश्वविद्यालय के पार्श्व क्षेत्र में स्थापित किये जाने पर निर्णय।

1–समिति को अवगत कराया गया कि यू0जी0सी0 नियमों के अनुरूप विश्वविद्यालय को 2एफ एवं 12बी की उच्चतर मान्यता श्रेणी हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप आधारभूत ढांचे का निर्माण करना आवश्यक है। इस हेतु आवासीय व्यवस्था में अधतन मा0 कुलपति जी का आवास एवं 12 कर्मचारियों के 12 नग टाईप टू आवास निर्मित

वित्त नियंत्रक
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

हो चुके हैं। वर्तमान में उप कुलसचिव/सहायक कुलसचिव/अन्य अधिकारियों के टाईप IV के 04 नग, टाईप–III के 08 नग एवं 08 नग आउट हाउस का निर्माण व कुलपति आवास के विस्तारीकरण का कार्य गतिमान है। विश्वविद्यालय के मुख्य प्रशासकीय अधिकारी–कुलसचिव व वित्त नियत्रंक हेतु आवासीय भवन अधतन अस्तित्व में नहीं है, जिनका समयानुसार निर्माण किया जाना है। उक्त दोनों अधिकारियों हेतु 02 नग टाईप–5 (अनुमानित व्ययभार रूपये 01.40 करोड़ मात्र, जिसमें रूपये 70 लाख मात्र प्रति आवास प्राक्कलन है) के आवासीय भवनों अनुमन्यता के साथ निर्माण की वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, जिसका निर्माण कार्य विश्वविद्यालय के स्वयं के संसाधनों से कराया जाना है।

निर्णय– तदक्रम में समिति द्वारा सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय परिसर के आधारभूत ढांचे में आवश्यकता होने व उक्त अधिकारियों को आवश्यकता के दृष्टिगत 02 नग टाईप–5 इन्डीपेन्डेंट आवास आगंणन के आधार पर विश्वविद्यालय निधि से निर्मित किये जाने की वित्तीय स्वीकृति के साथ निर्माण करने की अनुमति दी गयी। इस कार्य हेतु डी0पी0आर0 का निर्माण व कार्यदायी संस्था का चयन/निर्धारण समय–समय पर जारी उत्तराखण्ड शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

2–समिति को यह भी बताया गया कि विश्वविद्यालय में वर्तमान स्थायी वाहन पार्किंग क्षेत्र मुख्य द्वार के सम्मुख है। पार्किंग क्षेत्र में जगह की कमी होने के कारण कई बार कार्मिकों द्वारा अपने वाहनों को परिसर रोड़ के दोनो साईड खड़ा किया जाता है, जिस कारण कतिपय समय स्थिति असुविधाजनक हो जाती है। विश्वविद्यालय प्रशासनिक एवं अकादमिक भवन के पार्श्व में पर्याप्त स्थान होने के कारण वाहन पार्किंग क्षेत्र को विश्वविद्यालय प्रशासनिक एवं अकादमिक भवन के पार्श्व में स्थानान्तरण/नवनिर्माण किया जा सकता है, ताकि विश्वविद्यालय बेहतर ढांचे के अनुरूप सुसज्जित हो। पूर्व से निर्मित पार्किंग को नवीन प्रस्तावित स्थल पर शिफ्टिंग/निर्मित किये जाने में अनुमानित रूपये 25 लाख मात्र (पच्चीस लाख) व्ययभार आने की संभावना है, जिसे भी विश्वविद्यालय के स्वयं के संसाधनों से कराया जाना है।

निर्णय– उक्त के संबंध में समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में किसी शासकीय अभियन्ता से स्पष्ट रिपोर्ट/रोडमैप तैयार कर आख्या कुलपति के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी, जिसके आधार पर ही पार्किंग व्यवस्था के संबंध में निर्णय लिया जायेगा।

वित्त नियंत्रक
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

मद संख्या 18:19– परीक्षा समिति की 18वीं बैठक, दिनांक 14.08.2024 में पारित वित्तीय उपाशय निहित प्रस्तावों पर विचार।

समिति द्वारा परीक्षा समिति की 18वीं बैठक दिनांक 14.08.2024 के कार्यवृत्त में उल्लिखित मद संख्या–18.03 से 18.10 तक के प्रस्तावों का अवलोकन कर क्रमानुसार विचार–विमर्श करते हुए यथावत संस्तुति व अनुमोदन प्रदान किया गया–

परीक्षा समिति की 18वीं बैठक, दिनांक 14.08.2024 में पारित वित्तीय उपाशय प्रस्तावों का विवरण–

बिन्दु संख्या 18.03– परीक्षा केन्द्रों से प्राप्त परीक्षा की उत्तर–पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य हेतु उत्तर–पुस्तिकाओं के बण्डलों का संकलन, परीक्षकों द्वारा मूल्यांकन हेतु उत्तर–पुस्तिकाओं का प्रेषण एवं परीक्षणोपरान्त परीक्षा परिणाम घोषित होने तक समस्त कार्य किये जाने हेतु कर्मचारियों तथा पारिश्रमिक के निर्धारण विषयक।

परीक्षा केन्द्रों से प्राप्त परीक्षा की उत्तर–पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य हेतु उत्तर–पुस्तिकाओं के बण्डलों का संकलन, परीक्षकों द्वारा मूल्यांकन हेतु उत्तर–पुस्तिकाओं का प्रेषण एवं परीक्षणोपरान्त परीक्षा परिणाम घोषित होने तक समस्त कार्य किये जाने हेतु निम्न तालिकानुसार अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि के निर्धारण किये जाने पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से संस्तुति प्रदान की गयी।

अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि की दरें–

क्रमांक	प्रभार/दायित्व	कार्मिकों की संख्या	धनराशि (प्रति कार्मिक)
1	समन्वयक/उप परीक्षा नियंत्रक/सहायक परीक्षा नियंत्रक/सहायक कुलसचिव	01	7000
2	तृतीय श्रेणी कर्मचारी (परीक्षा केन्द्रों से प्राप्त चालान से मिलान कर उत्तरपुस्तिका प्राप्त करना तथा मूल्यांकन हेतु निर्गत करना)	06 (03 परीक्षा अनुभाग तथा 03 अन्य अनुभाग से)	5000
3	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (क्रमांक 1 व 2 की सहायता हेतु)	05 (03 परीक्षा अनुभाग तथा 02 अन्य अनुभाग से)	4000
4	तृतीय श्रेणी कर्मचारी OMR (अवार्ड शीट) प्रिंटिंग हेतु	02	5000
5	तृतीय श्रेणी कर्मचारी, परीक्षा के दौरान परीक्षा अनुभाग में सम्बद्ध	02	5000
6	तृतीय श्रेणी कर्मचारी (प्रायोगात्मक, मौखिक परीक्षा, लघुशोध, परियोजना कार्य, फिल्ड वर्क)	02	5000
7	तृतीय श्रेणी कर्मचारी (टेबुलेशन हेतु)	02	5000

वित्त नियंत्रक
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

8	वित्त नियंत्रक के निवर्तन पर उनके अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा परीक्षा में किए जाने वाले सहयोग हेतु	....	10000

परीक्षा अनुभाग के अलावा अन्य विभागों से सम्बद्ध कार्मिकों का चयन क्रमावर्तन के अनुसार किया जाएगा। आनुषांगिक व्यय के रूप में रूपये 0.20 पैसे प्रति–उत्तर–पुस्तिका दिया जाएगा जिसके अन्तर्गत समन्वयक ढुलाई, आकस्मिक व्यय आदि को सम्मलित करेंगें। उक्त व्यवस्था लागू होने के उपरांत वित्त समिति की 16वीं बैठक में स्वीकृत रूपये 3000 अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था को समाप्त माना जाय। समन्वयक द्वारा उत्तर–पुस्तिकाओं का मूल्यांकन हेतु उल्लिखित दिशा–निर्देशों पर संस्तुति प्रदान की गई।

समन्वयक हेतु दिशा–निर्देश

1. समन्वयक का यह दायित्व होगा कि वह विभिन्न परीक्षा केन्द्रों से प्राप्त उत्तर–पुस्तिकाओं की गिनती तथा उनका विवरण रजिस्टर में अंकन का कार्य कराएंगे।
2. समन्वयक समूह 'ग' एवं समूह 'घ' के कर्मचारियों द्वारा किये जाने वाले छटनी के कार्य का पर्यवेक्षण करेंगे।
3. समन्वयक छटनी कार्य समाप्त होने के उपरान्त मूल्यांकन हेतु परिसर से बाहर भेजी जाने वाली तथा मूल्यांकन के उपरान्त वापस आने वाली उत्तर–पुस्तिकाओं का विवरण पृथक से दर्ज करेंगे।
4. विश्वविद्यालय परिसर के भीतर होने वाले उत्तर–पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु मूल्यांकनकर्ता से सम्पर्क करेंगे तथा समस्त मूल्यांकन कार्य सम्पादित करवाऐंगे।
5. मूल्यांकन कार्य समाप्त होने के उपरान्त मूल्यांकनकर्ता को किये जाने वाले भुगतान के बीजक तैयार करायेंगे।
6. आनुषांगिक मद में प्राप्त होने वाली धनराशि का उपयोग उत्तरपुस्तिकाओं को वाहनों से उतारने एवं चढ़ाने जैसे ढुलाई कार्यों के लिए श्रमिकों की व्यवस्था तथा अन्य आकस्मिक व्यय हेतु किया जाएगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व समन्वयक का होगा।

परीक्षा नियंत्रक की संस्तुति पर उक्त तालिका में किसी भी प्रकार के परिवर्तन करने हेतु मा0 कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।

बिन्दु संख्या 18.04–उत्तर–पुस्तिकाओं के मुख्यालय से अन्य स्थानों पर मूल्यांकन कार्य कराये जाने की दशा में समन्वयन एवं आनुषांगिक कार्यों हेतु भुगतान सम्बन्धी आदेश में संशोधन विषयक।

विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में परीक्षार्थियों की संख्या अधिक होने के कारण उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य मुख्यालय (विश्वविद्यालय परिसर) के अतिरिक्त बाह्य स्थलों पर कराये जाने हेतु समन्वयकों को पूर्व में दिये जाने वाले मानदेय व आनुषांगिक व्यय को निम्नवत संशोधन किया गया–

समन्वयकों को रूपये 1.00 प्रति उत्तर–पुस्तिका पारिश्रमिक के रूप में एवं रूपये 50 पैसा प्रति उत्तर–पुस्तिका सहायक कार्मिकों को पारिश्रमिक देय होगा। कार्य समाप्ति के उपरांत समन्वयक द्वारा स्वयं का एवं सहायक कार्मिकों का विवरण (सबंधित का नाम, कार्य तिथि उत्तरपुस्तिकाओं की संख्या, खाता संख्या एवं भुगतान की राशि का विवरण) अंकित कर भुगतान हेतु विश्वविद्यालय को प्रेषित किये जाने पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से संस्तुति प्रदान की गई ।

वित्त नियंत्रक
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

बिन्दु संख्या 18.05–विश्वविद्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दिये जा रहे विशेष प्रोत्साहन पर पुनर्विचार।

वित्त समिति की 16वीं बैठक के बिन्दु संख्या–16.17 के द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को दिये जाने वाले विशेष मानदेय का नाम परिवर्तित करते हुए विशेष प्रोत्साहन राशि किया गया तथा दरें निम्नवत संशोधित की गई है–

कार्मिकों की श्रेणी	16वीं वित्त समिति द्वारा संस्तुत दरें	परीक्षा समिति की संशोधित संस्तुति
परीक्षा नियंत्रक	रू0 15000	यथावत
कुलसचिव/वित्त नियंत्रक	रू0 11000	यथावत
सहायक परीक्षा नियंत्रक/उप परीक्षा नियंत्रक	रू0 10000	यथावत
उप कुलसचिव	रू0 8000	रू0 10000
सहायक कुलसचिव/अन्य सभी अधिकारीगण	रू0 8000	रू0 9000
जन सम्पर्क अधिकारी	रू0 8000	समाप्त
समूह 'ग'	रू0 7200	यथावत
समूह 'घ'	रू0 6500	यथावत

विश्वविद्यालय के जिन कार्मिकों द्वारा परीक्षा के दौरान सहयोग नही किया जायेगा तथा परीक्षा ड्यूटी करने से मना किया जायेगा ऐसे कार्मिक प्रोत्साहन राशि हेतु पात्र नही होंगे। उपरोक्त पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से संस्तुति प्रदान की गई।

बिन्दु संख्या 18.06–विश्वविद्यालय की परीक्षाओं से सम्बन्धित ओ0एम0आर0 शीट के मूल्यांकन हेतु स्वीकृत मानदेय।

परीक्षा समिति द्वारा प्रस्ताव में ओ0एम0आर0 शीट के मूल्यांकन हेतु रूपये 01.00 प्रति ओ0एम0आर0 शीट स्कैन दर में वृद्धि करते हुए रूपये 01.50 मात्र प्रति ओ0एम0आर0 स्कैन के अनुसार किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी।

बिन्दु संख्या 18.07–परीक्षा अनुभाग हेतु पिक–अप वाहनों की आवश्यकता के सम्बन्ध में।

समिति द्वारा पिक–अप वाहन क्रय किये जाने हेतु असहमति व्यक्त की गई।

यदि सूचीबद्ध वाहन प्रदाता फर्म वाहन देने में सक्षम नही होती है तो ऐसी परिस्थिति में परीक्षा के कार्यों की तात्कालिकता के दृष्टिगत वित्त विभाग से मात्र परीक्षा कार्य हेतु वाहनों की दरें स्वीकृत कराई जा सकती है। जिस हेतु वित्त नियंत्रक, कुलसचिव एवं परीक्षा नियंत्रक द्वारा आपसी सामन्जस्य स्थापित कर समाधान माननीय कुलपति महोदय के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। इस पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से संस्तुति प्रदान की गई।

वित्त नियंत्रक
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल) [illegible]

[illegible] 7/8/24
कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

बिन्दु संख्या 18.08–विश्वविद्यालय की मौखिक परीक्षा, लघुशोध, परियोजना कार्य, फील्ड वर्क एवं प्रायोगात्मक परीक्षा के अंक पोर्टल पर अंकित किए जाने विषयक।

मौखिक परीक्षा, लघुशोध, परियोजना कार्य, फील्ड वर्क एवं प्रायोगात्मक परीक्षा हेतु वाह्य/आन्तरिक परीक्षक के साथ विश्वविद्यालय के संबंधित विभाग का शिक्षक समन्वयक के रूप में नियुक्त किया जायेगा। परीक्षकों की सूची के साथ समन्वयक का नाम विभाग के द्वारा परीक्षा नियंत्रक के माध्यम से माननीय कुलपति महोदय से अनुमोदित कराया जायेगा।

उपरोक्त कार्य हेतु समन्वयक को रूपये 500/– पारिश्रमिक प्रति विषय स्वीकृत होगा, पारिश्रमिक की अधिकतम सीमा एक परीक्षा केन्द्र पर रूपये 2000/–होगी। समन्वयक को विश्वविद्यालय नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता देय होगा। उक्त स्वीकृत धनराशि पारिश्रमिक के रूप में देय है अतः इस पर TDS एवं UWF की कटौती की जायेगी। समन्वयक को विश्वविद्यालय द्वारा SIS लिंक प्रदान किया जायेगा जिसमें वह परीक्षा दिवस पर ही ऑनलाइन अंकों की प्रविष्टि करेगा तद्परान्त प्रविष्ट किये गये अंकों की अवार्ड शीट प्रिंट करते हुए, अवार्ड व उपस्थिति में दोनों परीक्षकों के हस्ताक्षर करवाकर परीक्षा अनुभाग को प्रेषित करेगा।

बिन्दु संख्या 18.09–पर्यवेक्षक, औचक निरीक्षक तथा प्रश्नपत्र निर्माण पारिश्रमिक एवं एक परीक्षक की भुगतान राशि पर पुनर्विचार किये जाने विषयक।

विश्वविद्यालय की परीक्षाओं से सम्बन्धित औचक निरीक्षक, प्रश्नपत्र निर्माण **(परीक्षा समिति की द्वितीय बैठक)** तथा पर्यवेक्षक हेतु पारिश्रमिक परीक्षा समिति की क्रमशः छठी बैठक व समिति के निर्णय के द्वारा निम्नवत पारिश्रमिक स्वीकृत किया गया था, जिस पर वित्त समिति से दरें परिभाषित करना आवश्यक है। अतः संबंधित दरों का अवलोकन करते हुए परीक्षा समिति के माध्यम से वित्तीय अनुमोदन हेतु निणयार्थ प्रस्तुत किया गया, जिसमें निम्नवत दरों को यथावत रखते हुए वित्त समिति में स्वीकृत किये जाने हेतु वित्त समिति को संदर्भित किये जाने पर सर्वसम्मति से संस्तुति प्रदान की गई।

औचक निरीक्षक कार्य	रू0/– 600 प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति
पर्यवेक्षक कार्य	रू0/– 700 प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति
प्रश्नपत्र निर्माण कार्य	रू0/– 1000 प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति

विश्वविद्यालय की एक परीक्षा सत्र में प्रति परीक्षक (बाह्य/आंतरिक) को पारिश्रमिक धनराशि के रूप में (प्रश्नपत्र निर्माण, मॉडरेशन, उत्तरपुस्तिका मूल्यांकन व परियोजना/लघु शोध मूल्यांकन एवं प्रायोगात्मक परीक्षा व मौखिक परीक्षा) रूपये 20000 मात्र तक के अधिकतम भुगतान की सीमा में संशोधन कर रूपये 50000 (पचास हजार) मात्र किये जाने पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से संस्तुति प्रदान की गयी।

बिन्दु संख्या 18.10–उप परीक्षा नियंत्रक, सहायक परीक्षा नियंत्रक एवं ए0सी0 शिक्षकों के संबंध में पुर्नविचार।

वित्त नियंत्रक
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

वित्त समिति की बैठक 16वीं बैठक में उप परीक्षा नियंत्रक, परीक्षा सहायक (ए0सी0 शिक्षक) एवं वित्त समिति की 6वीं बैठक में सहायक परीक्षा नियंत्रक की तैनाती परीक्षा अनुभाग में किये जाने हेतु समिति द्वारा संशोधन करते हुए निम्न संस्तुतियां प्रदान की गई–

क्र0स0	तैनाती	पूर्व अनुमोदित संख्या	संस्तुत संख्या
1.	उप परीक्षा नियंत्रक	02	यथावत
2.	सहायक परीक्षा नियंत्रक	03	02
3.	परीक्षा सहायक (ए0सी0 शिक्षक)	02	05

मद संख्या 18:20–अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य प्रस्ताव–

(क)–निदेशक, एम0पी0डी0डी0 द्वारा एम0पी0डी0डी0 भवन से लगी बाउण्ड्री वॉल ऊँची करने, भवन के समीप शौचालाय निर्माण, पेयजल हेतु पाईप लाईन एवं टैंक व्यवस्था, भवन में पुस्तकों के रखरखाव हेतु डुप्लेक्स 100 रैकों का निर्माण, भवन की फॉल सीलिंग, भवन में रूफ टॉप एक्जास्ट फैन (12), खिड़कियों हेतु 06 फैन तथा फायर संयत्र (10) लगाये जाने के सम्बन्ध में कुल अनुमानित व्ययभार रूपये 43,64,200 मात्र के प्रस्ताव पर समिति द्वारा आवश्यकता होने के कारण सहमति व्यक्त करते हुए सुसंगत मद से कार्य कराने की अनुमति दी गयी।

(ख)–असिस्टेंट प्रोफेसर (ए0सी0)/अकादमिक सलाहाकारों के मानदेय वृद्धि अनुरोध पत्र दिनांक 19.07.2024 पर विचार।

विश्वविद्यालय में नियोजित असिस्टेंट प्रोफेसर (ए0सी0)/अकादमिक सलाहाकारों के पत्र दिनांक 17.07.2024 के क्रम में समिति द्वारा प्रकरण को सीका को संदर्भित करते हुए उसकी पुष्ट संस्तुति के साथ प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

(ग)–मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना हेतु बजट की व्यवस्था किये जाने हेतु विचार।

समिति द्वारा प्रकरण पर विस्तृत विचार–विमर्श किया गया, चूंकि प्रकरण नीतिगत है अतः प्रस्ताव तैयार कर शासन को सन्दर्भित किये जाने हेतु कुलसचिव को अधिकृत किया गया।

(सूर्य प्रताप सिंह)
सचिव, वित्त समिति
वित्त नियंत्रक
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

(प्रोफेसर ओ0पी0एस0 नेगी) 21/8/24
अध्यक्ष, वित्त समिति
कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)